on human rights violations in India emanating from Amnesty International;

(b) whether Government would refuse to be influenced by such reports and subtle pressures in reviewing its stand on Terrorists and Disruptive Activities Act and such other enactments aimed to curb terrorist and extremist activities on the Indian soil; and

(c) whether Government would make the National Human Rights Commission, which has been recently set up, the sole authority to investigate and adjudicate complaints of violation of human rights in India?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) Amnesty International has from time to time, been referring to the Ministry of Home Affairs, allegations of human rights violations in India. Allegations of a sweeping and generalised nature have frequently been made in these reports. A large number of the allegations published in these reports were found to be exaggerated and grossly distorted. Government have been issuing prompt and effective rebuttals to all such reports.

(b) The need for a special law like TADA to deal with an extraordinary situation arising out of organised terrorism and disruptive activities, aided and abetted externally, depends on the prevailing security and law and order environment. Decision on whether the law should continue or not is taken by Government on merits. There is no question of a Government decision on such a vital subject being influenced by any other agency.

(c) The NHRC, set up under the Protection of Human Rights Act, 1993 is empowered to inquire, suo-motu or on a petition presented to it by a victim or any persons on his behalf, into complaints of violations of human rights or abetment thereof. Provision has also been made under the said Act for setting up of Human Rights Commissions by the State Governments.

वन्य प्राणियों की खालों की तस्करी

*54. **प्रो. राम लखन सिंह वर्मा :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बाघों, तेंदुओं और अन्य लुप्त प्राय: वन्यप्राणियों की खालों को बड़े पैमाने पर विदेशों को भेजा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है; और

(ग) वन्यप्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) हाल के वर्षों में वन्यजीव-जन्तुओं की खालों की तस्करी के प्रयास के मामले सामने आए हैं । स्थानीय प्रवर्तन प्राधिकारियों के सहयोग से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में तैनात पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्रीय उप-निदेशकों द्वारा पकड़े गए ऐसे मामलों के ब्यौरे सदन के पटल पर रखे गए विवरण–I में दिए गए हैं । (**नीचे देखिए**) इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य सरकारों ने भी ऐसी वस्तुओं को पकड़ा है ।

(ख) इन मामलों में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा अन्य संगत अधिनियमों और नियमों के तहत कार्रवाई की गई है ।

(ग) सदन के पटल पर विवरण–II के रूप में एक विवरण रखा गया है ।

विवरण

वन्यजीव-जन्तुओं की खालें तथा अन्य वस्तुएं तस्करी करते हुए पकड़ी गईं ।

क्रम संख्या	पकड़ी गयी वस्तुएं	1992-93	1993-94	1994-95 (भाग)
1.	सांप की खाल/वस्तुएं . .	3385	7477	21
2.	सियार की खाल/वस्तुएं . .	2	1	539
3.	तेंदुएं की खाल की वस्तुएं . .	1	43	9 (कट पीस)
4.	तेंदुआ बिलाव की खाल . .	--	2	--
5.	कच्ची खाल/वस्तुएं . . .	10	13	1
6.	मगर की खाल की वस्तुएं . .	13	--	--
7.	गन्ध बिलाव की खाल . .	--	5	145
8.	हिरन की खाल की वस्तुएं . .	1	7	6
9.	चित्रकू/चितराला की खाल (कि.ग्रा. में)	553	--	--
10.	खरगोश की खाल/वस्तुएं .	92	--	--
11.	साधारण लोमड़ी/रैंड़ (कि.ग्रा.) .	2	--	416
12.	भूरे भेड़िए की खाल . .	--	90	--
13.	बाघ की खाल . . .	--	9	3 (कट पीस)
14.	जंगली बिल्ली की खाल . .	--	5	942
15.	उंद बिलाव की खाल/ वस्तुएं . .	--	129	--
16.	मत्स्य बिलाव की खाल . .	--	3	7
17.	रेगिस्तानी बिलाव की खाल .	--	2	212
18.	मेघ-श्याम तेंदुए की खाल	--	-3	--
19.	रेगिस्तानी लोमड़ी की खाल .	--	--	796
20.	घरेलू बिल्ली की खाल . . .	--	--	2
21.	साकिन की खाल . . .	--	--	1

विवरण ।।

सरकार द्वारा वन्यजीव जन्तुओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

(1) कानून द्वारा अनुसूचित वन्यजीव जन्तुओं के शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(2) शिकार रोधी अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(3) बाघों, हाथियों और गैंडों तथा उनके वासस्थलों की सुरक्षा एवं परिरक्षण के लिए विशिष्ट स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(4) जब कभी वन्यजीव जन्तुओं के अवैध व्यापार की सूचना वन्यजीव प्राधिकारियों को मिलती है तो वे छापे मारते हैं।

(5) वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के परिरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के एक नेटवर्क की स्थापना की गई है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(6) जीवजन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे निर्मित वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन (साइट्स) के उपबंधों के तहत विनियमित किया जाता है।

(7) देश के प्रायः प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए वन्यजीवन संरक्षण के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

Producers of House on Wheels and Caravans

*55. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

SHRI RAM RATAN RAM:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) how many producers of 'House on Wheels' or 'Caravans' are there in the country and what is their annual production;

(b) what is the policy of Government in this regard;

(c) what is being done to encourage such production; and

(d) whether Government plan any camping sites for such caravans in metropolitan cities?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (d). As per Motor Vehicles Act there are no vehicles called 'House on Wheels' or 'Caravans'. The Government have also no specific scheme for assistance in the production of House on Wheels and Caravans for for setting up of any camping sites.

Misuse of TADA

*56. SHRI GAYA SINGH:

SHRI GURUDAS DAS GUPTA

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of persons booked under TADA during last five years is more than one lakh;

(b) wheher it is also a fact that the TADA Act has been blindly misused by Government and by the police;

(c) if so, what are the details thereof; and